तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी प्रतिवादीगण की जाकर पत्रावली दिनांक 15.05.2019 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी पीपलू	1155-57 / 11-04-19
15/05/19	पी. ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / मिटिंग पर होने से दिनांक 16.05.19 को पेश हो। Ram	
16/05/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार पीपलू से वास्तविक रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। अतः तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 30.05.19 को पेश हो। [signature]	
30/05/19	पी. ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दि... 19.06.19 को पेश हो। Ram	
19/06/19	पी. ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / मिटिंग पर होने से दिनांक 26.06.19 को पेश हो। Ram	
[illegible]/06/19	पत्रावली पेश हुई। वास्ते साबिक आदेशो की पालना में पत्रावली दिनांक 03.07.19 को पेश हो। [signature]	
03/07/19	पी. ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण ... 11-07-19 को पेश हो। Ram	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या– 22/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक–14.08.2019

1. हंसराज पुत्र प्रभु जाति खंगार निवासी ग्राम पीपलू तहसील–पीपलू जिला–टोंक
2. राजाराम पुत्र प्रभु जाति खंगार निवासी ग्राम पीपलू तहसील–पीपलू जिला–टोंक

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (राज.)
2. भू0 अभिलेख निरीक्षक पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. हल्का पटवारी पीपलू

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः–14.08.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं कि खाता संख्या 202 में वर्णित आराजी ख0न0 1370, 1371, 1372, 1373, 1374 कुल किता 05 कुल रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा व खाता संख्या 659 में वर्णित आराजी ख0न0 427 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसके प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं तथा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार व आदेश के हंसराज पुत्र प्रभु की जगह लाला पुत्र प्रभु व राजाराम पुत्र प्रभु की जगह छोटु पुत्र प्रभु गलत नाम अंकित कर दिया गया हैं। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम हंसराज पुत्र प्रभु व राजाराम पुत्र प्रभु जाति खंगार हैं। प्रार्थीगण ने अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास, जन्म प्रमाण–पत्र पेश किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम सही अंकित हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत अंकित कर दिया गया। जो त्रुटिपूर्ण हैं। जो एक लिपिकीय त्रुटी हैं। जिसकों दुरूस्त किये जाने का प्रार्थीगण ने निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट मय जवाब पेश कर निवेदन किया की ग्राम पीपलू की जमाबन्दी खाता संख्या 202 में लाला, छोटु पि0 प्रभु अंकित हैं व खाता संख्या 659 में छोटु, हंसराज पि0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned by CamScanner

प्रभु अंकित हैं तथा प्रार्थीगण ने जो अपने दस्तावेज पेश किये हैं उसमें हंसराज पुत्र प्रभु व राजाराम पुत्र प्रभु हैं। जानकारी के मुताबिक छोटु तथा राजाराम और लाला व हंसराज एक ही व्यक्ति हैं। छोटु व लाला उनके बचपन के नाम है। जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त त्रुटीपूर्ण नाम अंकित कर दिये गये तथा खाता संख्या 659 में लाला का सही नाम हंसराज ही दर्ज हैं। सहवन से जो नाम अंकित किये गये थे। वह त्रुटी पूर्ण हैं। जिसको सही किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार व आदेश के हंसराज पुत्र प्रभु की जगह लाला पुत्र प्रभु व राजाराम पुत्र प्रभु की जगह छोटु पुत्र प्रभु गलत नाम अंकित कर दिया गया हैं। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम हंसराज पुत्र प्रभु व राजाराम पुत्र प्रभु जाति खंगार हैं। प्रार्थीगण ने अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास, जन्म प्रमाण–पत्र पेश किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम सही अंकित हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत अंकित कर दिया गया। जो त्रुटिपूर्ण हैं। जो एक लिपिकीय त्रुटी हैं। जिसकों दुरूस्त किये जाने का प्रार्थीगण ने निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज, अप्रार्थीगण की राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक एवंत तथ्यात्मक रिपोर्ट व प्रार्थीगण प्रस्तुत शपथ पत्रों से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि प्रार्थीगण का वास्तविक एवं सही नाम हंसराज पुत्र प्रभु व राजाराम पुत्र प्रभु हैं। इस क़ारण उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का सही नाम अंकित किये जाने का आदेश देना उचित प्रतित होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया ज़ाकर प्रार्थीगण का नाम खाता संख्या 202 में वर्णित आराजी ख0न0 1370, 1371, 1372, 1373, 1374 कुल किता 05 कुल रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा में लाला पुत्र प्रभु की जगह हंसराज पुत्र प्रभु व छोटु पुत्र प्रभु की जगह राजाराम पुत्र प्रभु व खाता संख्या 659 में वर्णित आराजी ख0न0 427 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक में छोटु पुत्र प्रभु की जगह राजाराम पुत्र प्रभु जाति खंगार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता हैं। तहसीलदार, पीपलू निर्णय अनुसार पालना करें। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

आज दिनांक **14.08.2019** को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
पीपलू (टोंक)

Scanned by CamScanner